

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पाँच (20).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पाँच(42) दिनांक 5 अगस्त 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) अनुसूची II—6 % में क्रम सं. 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।
- (ख) अनुसूची IV—14 % में क्रम सं. 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम. सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

सारणी

“228	कोई भी अध्याय	लॉट्री	14%”
------	---------------	--------	------

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2020 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय के अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (20), दिनांक 20 मार्च 2020, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th March 2020

No. F A-3-33-2017-1-V-(20).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-33-2017-1-V(42)-2017 dated 29 June 2017 namely:—

In the said notification,—

- (a) in Schedule-II 6%, S. No. 242 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule IV-14%, for S. No. 228 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be substituted, namely:—

“228.	Any chapter	Lottery	14%”.
-------	-------------	---------	-------

- 2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.